न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1145—तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 19—3—2014 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 3262—दो/2012.

हनुमान प्रसाद पटेल तनय गरूल पटेल
निवासी ग्राम पाति, महत्वमान थाना व तहसील हनुमना
जिला रीवा म0 प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1 नर्वदा प्रसाद पटेल तनय जानकारी प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम पाति, महतमान थाना व तहसील
हनुमना जिला रीवा म0 प्र0
2 शिवप्रसाद तनय जानकारी प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम तैलिहा, महतमान थाना व तहसील
हनुमना जिला रीवा म0 प्र0 .....अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री रमाकांत पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/2015 को पारित)

यह पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1145—तीन/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर के निगरानी प्रकरण कमांक 3262—दो/12 में पारित आदेश दिनांक 19—3—2014 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । अनावेदकगण नर्वदाप्रसाद आदि ने संहिता की धारा 115, 116 तथा 121 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी । आवेदक हनुमान प्रसाद ने आवेदन का

जवाब प्रस्तुत हुए प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की । आपत्ति पर उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 8'12–2011 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकरण में साक्ष्य ली जाना आवश्यक है । अतः उन्होंने प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया । आवेदक द्वारा प्रचलनशीलता पर पुनः आपत्ति करने पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22–2–2012 द्वारा प्रचलनशीलता पर दिनांक 8–12–2011 को विचार किये जाने से आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अपर कलेक्टर ने 19–9–12 द्वारा यह आधार पर समाप्त की गयी है कि अधिनियम 2011 द्वारा धारा 50 में संशोधन कर पुनरीक्षण की अधिकारिता समाप्त की गयी है । जिसके विरूद्ध पुनर्विलोकनकर्ता ने निगरानी प्रकरण कमांक 3262–दो/12 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19–3–14 में अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 19–9–12 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2011 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30–12–11 में प्रकाशित अनुसार धारा 50 में संशोधन के फलस्वरूप अपर कलेक्टर को निगरानी की अधिकारिता समाप्त हो जाने के प्रकाश में, यथावत् रखा गया । साथ ही तहसीलदार का आदेश दिनांक 22–2–12 भी इस आधार पर यथावत् रखा गया कि चूँकि विक्रय पत्र दिनांक 1–10–73 एवं नामांतरण दिनांक 5–3–98 के प्रकाश में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक के कब्जे के संबंध में साक्ष्य के आधार पर ही विनिश्चय किया जा सकता है, अतः तहसीलदार ने आवेदक पुनर्विलोकनकर्ता की आपत्ती खारिज करने में कोई गलती नहीं की । राजस्व मण्डल के इस आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत हुआ है ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को उनके तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन मेमों के आधार पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया । अनावेदक अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूंकि राजस्व मण्डल अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार के निर्णयों में कोई विधिक त्रुटि नहीं है एवं चूंकि आवेदक द्वारा कोई नयी जानकारी, साक्ष्य, अभिलेख या तथ्य राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश के उपरान्त समक्ष में नहीं लाया गया है, अतः यह पुनर्विलोकन प्रकरण खारिज कर समाप्त किया जाए ।

4/ मैने प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेखों की बारीकी से अवलोकन किया । मेमों में अभिलिखित पुनर्विलोकन के आधारों एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों के प्रकाश में निम्न बिन्दु प्रकरण में प्रमुखता से समक्ष आते है :

(1) आवेदक पुनर्विलोकनकर्ता का यह कहना है कि वह वाद भूमि का भूमिस्वामी है जिस कारण उसने तहसीलदार के समक्ष आपत्ती प्रस्तुत की थी, जिसे निरस्त किया जाना गलत था ।

इस संबंध में मेरा यह मत है कि तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 22–2–12 को प्रकरण तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन था, वहां साक्ष्य प्रतिसाक्ष्य के उपरान्त तहसीलदार ने विनिश्चय करने का निर्णय लिया था तथा आवेदक को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर वहां उपलब्ध था, अतः पहले ही प्रकरण न्यायहित में साक्ष्य हेतु ग्राह्य कर लेने के प्रकाश में, तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ती निरस्त करने में कोई गलती नहीं की गई ।

(2) आवेदक का यह कहना है कि अपर कलेक्टर ने पहले निगरानी आवेदन को ग्राह्य कर पंजीबद्ध किया और लम्बे अन्तराल बाद आवेदक को कानूनी अनभिज्ञता के साथ खिलवाड करते हुए उसे निरस्त किया ।

इस संबंध में भी मैं राजस्व मण्डल का पूर्व आदेश सही पाता हूँ । जहॉ एक ओर सही विधिक स्थिति का ज्ञान रखना आवेदक एवं उसके विद्वान अधिवक्ता की स्वंय की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरी ओर विधिक आधार पर अपना निर्णय पारित करना अपर कलेक्टर की बाध्यता थी, जो कर के उन्होंने सही ही किया । हॉ, यह तर्क अवश्य मान्य किये जाने योग्य है कि अपर कलेक्टर को प्रकरण ग्राह्य कर पंजीबद्ध भी नहीं करना चाहिए था यदि उनके समक्ष आवेदन भू–राजस्व संहिता में संशोधन के उपरान्त प्रस्तुत हुआ था, किन्तु इस आधार पर उन्हें (अपर कलेक्टर को) उनका अंतिम आदेश किसी अन्य स्वरूप में पारित करना चाहिए था, इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ । ना ही ऐसे किसी आधार पर आवेदक किसी भी प्रकार की तुष्टि हेतु अपना अधिकार व्यक्त करने की पात्रता रखता है ।

(3) आवेदक का यह तर्क कि राजस्व मण्डल को पूर्व प्रकरण को प्रथम निगरानी मानना चाहिए था, सही है, एवं राजस्व मण्डल ने ऐसा ही किया, विशेषकर तहसीलदार के आदेश के संदर्भ में ।

(4) आवेदक का यह तर्क कि राजस्व मण्डल ने पूर्व प्रकरण में आवेदक के मेमो एवं तर्क के बिन्दुओं का निराकरण नहीं किया भी मेरे मत में पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि स्पष्टतः राजस्व मण्डल का निर्णय अपने आप में प्रकरण में समग्रता का दृष्टिकोण दर्शाता है और इस कारण से सही है ।

5/ उपरोक्त बिन्दुओं, विवेचना एवं निष्कर्षों के प्रकाश में मैं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 19–3–14 में किसी हस्तक्षेप या पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं समझता । राजस्व मण्डल द्वारा अपने पूर्व आदेश में अपर कलेक्टर का आदेश विधि के प्रकाश में सही माना जाना, सही है । साथ ही, तहसीलदार के समक्ष भी चूंकि प्रकरण विचाराधीन था, वहां साक्ष्य प्रतिसाक्ष्य के उपरान्त तहसीलदार ने विनिश्चय करने का निर्णय लिया था तथा आवेदक को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर वहां उपलब्ध था, अतः पहले ही प्रकरण न्यायहित में साक्ष्य हेतु ग्राह्य कर लेने के प्रकाश में, तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ती निरस्त करने में कोई गलती नहीं की गई । अनावेदक का यह तर्क भी सही है कि आवेदक द्वारा कोई नयी जानकारी, साक्ष्य, अभिलेख या तथ्य राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश के उपरान्त समक्ष में नहीं लाया गया है । राजस्व मण्डल में इस पुनर्विलोकन प्रकरण के माध्यम से विधिक प्रकिया को विलम्बित करने का प्रयास आवेदक द्वारा किया जा रहा हो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता । इस प्रकाश में मैं राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 19–3–14 यथावत् रखता हूँ तथा यह पुनर्विलोकन प्रकरण खारिज करते हुए समाप्त करता हूँ ।

आदेश पारित । अभिलेख वापस हो ।
पक्षकार सूचित हो ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर